

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)

प्रह्लाद सिंह

बनाम

राजपूत

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 22/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>प्रह्लाद सिंह - भगवत सिंह - शिव सिंह</u> पिता श्री <u>राजपूत</u> निवासी- <u>पंचतोली</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ..... <u>पंचतोली (प. ह. सहगावा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>113, 114, 115</u> <u>116, 121, 121/200, 126</u> <u>2.95, 0.14, 0.50</u> <u>0.50, 2.39, 1.85, 0.36</u> कुल कीता <u>0.7</u> कुल रकबा <u>9.3400</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पंचतोली (प. ह. सहगावा) तह. चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>113, 114, 115, 116, 121, 121/200, 126</u> <u>2.95, 0.14, 0.50, 1.50, 2.39, 1.85, 0.36</u></p> <p>कुल कीता <u>0.7</u> रकबा <u>9.3400</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>3000 = 90</u> रुपये अक्षरे <u>नि. ए. ए. ए. ए. ए.</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(<u>बिन्नु देवल</u>) सहायक फलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>